



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

द्वितीय अपील क्रमांक 476/2007

1. कलीम बेग पिता स्वर्गीय करीम बेग उम्र लगभग 34 वर्ष, ग्राम सरायपाली, तहसील-सरायपाली, जिला-महासमुंद, छत्तीसगढ़।

2. फुल बाई (मृत) (विलोपित) न्यायालय के आदेश दिनांक 05-09-2017 के अनुसार।

----- अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण

बनाम

1. महबूब हुसैन @महबूब हुसैन (मृत) विधिक प्रतिनिधि के द्वारा, न्यायालय के आदेश दिनांक 03-05-2019 के अनुसार।

1.1 - (क) मो. हुसैन पिता यासीन उम्र लगभग 70 वर्ष, निवासी बाजारपारा सरायपाली पुलिस थाना एवं तहसील सरायपाली, जिला महासमुंद छत्तीसगढ़।

1.2 - (ख) माथलब हुसैन पिता यासीन उम्र लगभग लगभग 65 वर्ष, बाजारपारा सरायपाली पुलिस थाना एवं तहसील सरायपाली, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़।

1.3 - (ग) मुसताक हुसैन पिता यासीन उम्र लगभग 60 वर्ष, बाजारपारा सरायपाली पुलिस थाना एवं तहसील सरायपाली, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़।

---- वादी

2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, महासमुंद, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़।

---- उत्तरवादीगण

अपीलार्थीगण हेतु : श्री एस. एन. नंदे, अधिवक्ता

उत्तरवादी क्रमांक 1 हेतु : कोई नहीं।

राज्य हेतु : श्री अरुण शुक्ला, शासकीय अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल

बोर्ड पर आदेश

12.07.2019



1. इस प्रतिवादी की द्वितीय अपील में अंतर्वलित, विनिर्मित तथा विनिश्चय हेतु उत्तर दिए जाने वाले विधि का सारवान प्रश्न निम्नानुसार है:

“क्या विचारण न्यायालयों द्वारा अपीलार्थियों को उत्तरवादी क्रमांक 1 के पक्ष में बिना किसी स्वामित्व के साक्ष्य के भूमि के अन्यसंक्रामण से अवरुद्ध करना न्यायोचित था, इस आधार पर कि मूल रूप से भूमि अपीलार्थियों के पूर्वाधिकार में था? ”

(सुविधा के लिए, पक्षकारों को वाद में दर्शाई गई उनकी स्थिति और रैंकिंग के अनुसार विचारण न्यायालय में संदर्भित किया जाएगा।)

2. वादी - महबूब हुसैन ने स्थायी व्यादेश के लिए मात्र एक वाद दायर किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया कि उन्होंने प्रतिवादी क्रमांक 1 के पिता करीम बेग से पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से दिनांक 06/06/1959 को वाद भूमि खरीदी थी और वाद भूमि पर उनका कब्जा हो गया था, लेकिन प्रतिवादी क्रमांक 1 और 2 ने मूल विक्रेता अर्थात् करीम बेग की मृत्यु के बाद अपने नाम में नामांतरण करवा लिया, जिससे उन्हें यह प्रार्थना करते हुए सिविल वाद दायर करने का कारण मिला कि उनके पक्ष में स्थायी व्यादेश प्रदान की जाए। प्रतिवादी क्रमांक 1 और 2 ने अपना लिखित कथन दायर किया, जिसमें कहा गया कि वे अपने पिता/पति की मृत्यु के बाद वाद भूमि के स्वामी हैं और उन्होंने इस आरोप से इनकार किया कि उक्त वाद भूमि उनके मृत पिता/पति द्वारा वादी को बेची गई थी।

3. विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने दिनांक 22/11/2003 के निर्णय द्वारा वादी के पक्ष में वाद डिक्रीत किया, जिसमें कहा गया कि प्रतिवादी क्रमांक 1 के पिता अर्थात् करीम बेग ने वादी को दावे वाली संपत्ति बेची थी, जिससे वह दावे वाली भूमि का स्वामी हो गया, न कि प्रतिवादी, जिसकी पुष्टि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रतिवादी क्रमांक 1 और 2 द्वारा प्रस्तुत सिविल अपील में दिनांक 28/06/2007 के निर्णय और डिक्री द्वारा की थी, जिसके विरुद्ध उनके द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है, जिसमें निर्धारण के लिए तैयार किया गया विधि का सारवान प्रश्न इस निर्णय के आरंभिक पैरा में प्रस्तुत किया गया है।

4. प्रतिवादी क्र. 1 और 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.एन. नंदे ने तर्क प्रस्तुत किया कि दोनों विचारण न्यायालय ने वादी के पक्ष में स्थायी व्यादेश की डिक्री प्रदान करके पूरी तरह से अनुचित कार्य किया है, क्योंकि वादी ने यह साबित कर दिया है कि उसने प्रतिवादी क्र. 1 के पिता करीम बेग से पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 06/06/1959 के माध्यम से वाद की भूमि खरीदी है, जबकि वाद की संपत्ति बेची नहीं गई थी और विक्रय विलेख न तो मूल है और न ही उसकी प्रमाणित प्रति विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, और इसलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (इसके बाद "अधिनियम") की धारा



90 के तहत अनुमान वादी के लिए उपलब्ध नहीं था और दोनों विचारण न्यायालयों ने वादी के पक्ष में डिक्री प्रदान करके अवैधानिक कार्य किया है।

5. नोटिस की तामिली के बावजूद उत्तरवादी/वादी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

6. मैंने प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता की बात सुनी, उनके प्रस्तुतियों पर विचार किया और अभिलेखों का अत्यंत सावधानी से अध्ययन किया।

7. वादी का प्रकरण यह है कि उसने प्रतिवादी क्रमांक 1 के पिता अर्थात् करीम बेग से पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 06/06/1959 के माध्यम से वाद भूमि खरीदी थी, लेकिन उस विक्रय विलेख को न तो मूल रूप में प्रस्तुत किया गया, न ही उसकी प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई और इस प्रकार, वादी को अधिनियम की धारा 65 के तहत द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने की कोई अनुमति नहीं दी गई। फिर भी, विचारण न्यायालय ने अधिनियम की धारा 90 के तहत यह अनुमान लगाया है कि विक्रय विलेख 30 साल पुराना दस्तावेज है।

8. **लखी बरुआ बनाम पद्मा कांता कलिता<sup>1</sup>** के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि 30 वर्ष पुराने दस्तावेज की वास्तविकता का अनुमान तभी लगाया जा सकता है, जब संबंधित दस्तावेज उचित अभिरक्षा में प्रस्तुत किया गया हो।

“15. साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 आवश्यकता और सुविधा पर आधारित है क्योंकि तीस वर्ष बीत जाने के बाद पुराने दस्तावेजों की हस्तलिपि, हस्ताक्षर या निष्पादन को साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करना अत्यंत कठिन और कभी-कभी संभव नहीं होता है। पुराने दस्तावेज के निष्पादन को साबित करने में ऐसी कठिनाइयों या असंभवताओं को दूर करने के लिए, धारा 90 को साक्ष्य अधिनियम में शामिल किया गया है, जो निजी दस्तावेजों के साक्ष्य के सख्त नियम को समाप्त करता है। यदि प्रश्नगत दस्तावेज उचित अभिरक्षा में प्रस्तुत किए जाते हैं तो वास्तविकता की धारणा बनाई जा सकती है। हालांकि, धारा 90 से उत्पन्न धारणा को स्वीकार करना न्यायालय का विवेक है। हालांकि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 90 के तहत न्यायिक विवेक का मनमाने ढंग से और बिना किसी कारण के प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।”

इसके बाद, उनके माननीय न्यायाधीशों ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम की धारा 90 के तहत अनुमान प्रमाणित प्रति पर लागू नहीं होता है और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:—

“17. उपरोक्त प्रिवी काउंसिल के निर्णयों के बाद विभिन्न उच्च न्यायालयों के बाद के निर्णयों के बाद स्थिति यह है कि धारा 90 के तहत अनुमान किसी प्रतिलिपि या प्रमाणित प्रतिलिपि पर

1 AIR 1996 SC 1253



लागू नहीं होता है, भले ही वह तीस वर्ष पुरानी हो: लेकिन यदि साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के तहत द्वितीयक साक्ष्य के प्रवेश के लिए मूल के खो जाने या नष्ट हो जाने के साक्ष्य के द्वारा आधार तैयार किया जाता है और तीस वर्ष पुरानी प्रतिलिपि उचित अभिरक्षा से प्रस्तुत की जाती है, तो केवल उस प्रतिलिपि को प्रमाणित करने वाले हस्ताक्षर को धारा 90 के तहत वास्तविक माना जा सकता है।”

9. उपरोक्त निर्णय में प्रतिपादित विधि के सिद्धांत के प्रकाश में प्रकरण के तथ्यों पर वापस लौटते हुए, यह स्पष्ट है कि न तो वादी द्वारा उचित अभिरक्षा से मूल विक्रय विलेख प्रस्तुत किया गया था और न ही दिनांक 06/06/1959 की विक्रय विलेख की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करके द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने का आधार बनाया गया था, इसलिए, अधिनियम की धारा 90 के तहत वास्तविकता का कोई अनुमान विचारण न्यायालय द्वारा केवल इस आधार पर नहीं लगाया जा सकता था कि विक्रय विलेख तीस वर्ष पुराना दस्तावेज है। यह एक ऐसा प्रकरण है जहाँ वादी द्वारा उचित अभिरक्षा से मूल विक्रय विलेख प्रस्तुत न करने को दृष्टिगत रखते हुए अधिनियम की धारा 90 बिल्कुल भी लागू नहीं होती है और न ही अधिनियम की धारा 65 के तहत द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने का आधार बनाया गया था। इसके अलावा, अभिलेख पर ऐसा कोई अन्य साक्ष्य नहीं है जो यह साबित करे कि वादी ने किसी भी तरह से वाद की भूमि पर स्वामित्व अर्जित किया है।

10. इस प्रकार, दोनों विचारण न्यायालयों द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष कि वादी वाद की भूमि का स्वामी है, जिसे उसने प्रतिवादी क्रमांक 1 के पिता अर्थात् करीम बेग से खरीदा था, एक ऐसा निष्कर्ष है जो अभिलेख के विपरीत है। तदनुसार, विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री, जैसा कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है, को अपास्त किया जाता है तथा वादी का वाद तदनुसार खारिज किया जाता है। वादी को अपने वाद व्यय के साथ-साथ प्रतिवादी क्रमांक 1 का वाद व्यय भी वहन करना होगा।

11. तदनुसार एक डिक्री तैयार की जाए।

सही/-

(संजय के. अग्रवाल)

न्यायाधीश

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

**अस्वीकरण:** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही



तटस्थ उद्धरण

2019:सीजीएचसी:19095

5

अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

